रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052026-272281
CG-DL-E-06052026-272281

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948
No. 306]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2026

सा.का.नि. 335(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 34) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 में जहाँ तक वे महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक के पदों से संबंधित हैं, उन नियमों का अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना- ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो ऊपर उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महानिरीक्षक	10* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 14 (144200-218200 रू.)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसमें असफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 13क (131100-216600 रू) में उप महानिरीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण** 1:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) की संरचना निम्नानुसार होगी:-** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; 2. गृह सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य; 3. महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण – सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

प्रतिनियुक्ति: भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के अधीन पुलिस महा निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित है। **टिप्पण 1**:- भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। **टिप्पण 2** :- भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथासंशोधित, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० आई-21023/29/2007-आईपीएस ।।।, तारीख 30 मार्च, 2010 में यथाअंतर्विष्ट प्रतिनियुक्ति से संबंधित अनुदेशों या आदेशों की शर्तों से विनियमित होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप महानिरीक्षक	15* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 13क (131100-216600 रू.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) अस्सी प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति – राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रू.) में पुलिस अधीक्षक, जिसने उसी श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:-** राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख पर नियमित आधार पर फीडर पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा वही अर्थात् छह वर्ष बनी रहेगी। **टिप्पण 2 :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** केन्द्र में पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर पर पद धारण करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) की संरचना निम्नानुसार होगी:-** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय -सदस्य 3. महानिदेशक/ विशेष महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 1 - भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते लेंगे। **टिप्पण 2 :-** भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथासंशोधित, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० आई-21023/29/2007-आईपीएस ।।।, तारीख 30 मार्च, 2010 में अंतर्विष्ट प्रतिनियुक्ति से संबंधित अनुदेशों या आदेशों की शर्तों से विनियमित होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. पुलिस अधीक्षक	39* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 12 (78800-209200 रू.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) अस्सी प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति – राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रू.) में अपर पुलिस अधीक्षक, जिसने उसी श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) की संरचना निम्नानुसार होगी:-** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** केंद्र में पुलिस अधीक्षक का पद धारण करने के लिए पैनलबद्ध भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी या अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारी या केंद्रीय पुलिस संगठनों के अधिकारी या राज्य पुलिस संगठनों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी या केन्द्रीय सरकार संगठित समूह 'क' सेवा के अधिकारी जिसमें निम्नलिखित सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं, अर्थात्: (i) भारतीय आर्थिक सेवाएं; (ii) भारतीय राजस्व सेवाएं; (iii) भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवाएं; (iv) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाएं; (v) प्रवर्तन निदेशालय; (vi) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय; (vii) रेलवे सतर्कता कार्यालय; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या	2. अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य 3. महानिदेशक/ विशेष महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य	

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 के पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की हैं; और (ख) जिन्हें आपराधिक मामलों या आर्थिक अपराधों के अन्वेषण के मामलों को संभालने या आतंकवादरोधी ऑपरेशन सहित आसूचना कार्यों या आतंकवादरोधी अथवा सतर्कता जानकारी संग्रह में प्रशिक्षण प्रदान करने का सात वर्षों का अनुभव हो। **टिप्पण 1 -** भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथासंशोधित, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० आई-21023/29/2007-आईपीएस ।।।, तारीख 30 मार्च, 2010 में अंतर्विष्ट प्रतिनियुक्ति से संबंधित अनुदेशों या आदेशों की शर्तों से विनियमित होगी। **टिप्पण 2 :-** भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते लेंगे। इसी प्रकार, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा केंद्र सरकार समूह 'क' संगठित सेवाओं के अधिकारी भी उनके ऊपर लागू होने वाले नियमों के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे। **टिप्पण 3 :-** केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या अन्य सेवाओं अर्थात् अखिल भारतीय सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाएं, प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या किसी भी समय कुल स्वीकृत पदों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।		

टिप्पण 4 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 5 :-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 6 :-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।		

[फा. सं. 45021/28/2023-एनआईए]

राकेश राठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2026

G.S.R. 335(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency, Inspector General, Deputy Inspector General, Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the posts of Inspector General, Deputy Inspector General and Superintendent of Police except as respects things done or omitted to the done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector General, Deputy Inspector General and Superintendent of Police in the National Investigation Agency, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency, Inspector General, Deputy Inspector General and Superintendent of Police (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.-These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.– The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the above said Schedule.

5. Disqualification.–No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector General.	10* (2026). * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-14 (Rs. 144200-218200) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruit.	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	i. Seventy Five per cent by deputation-; and ii. Twenty Five per cent by promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Inspector General in level-13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600) in the National Investigation Agency with four years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation** Officers of the Indian Police Service who have been approved for appointment as Inspector General of Police under the Government of India; **Note 1:** Indian Police Service Officers shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954 as amended from time to time. **Note 2:** Deputation of Indian Police Service Officers shall be regulated in terms of the instructions orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum I-21023/29/ 2007-IPS.III dated the 30th March, 2010 amended from time to time.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Chairman / Member, Union Public Service Commission – Chair person; 2. Home Secretary, Ministry of Home Affairs – Member; 3. Director General, National Investigation Agency – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Inspector General.	15* (2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13A (Rs. 131100-216600) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Eighty per cent by deputation-; and (ii) Twenty per cent by promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion - Superintendent of Police in the level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) in the National Investigation Agency with seven years regular service in the grade. **Note 1:** Eligibility service shall continue to be the same that is six years for persons holding the feeder post on regular basis on the date of publication of these Rules in the Official Gazette. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation** Officers of the Indian Police Service holding the post of Deputy Inspector General of Police level post at the centre.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chair Person; 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Home Affairs – Member; 3. Director General or Special Director General / Additional Director General, National Investigation Agency - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note 1: Indian Police Service Officers shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954 as amended from time to time. **Note 2:** Deputation of Indian Police Service Officers shall be regulated in terms of the instructions or orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. I-21023/29/2007-IPS.III dated the 30th March, 2010 and as amended from time to time.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Superintendent of Police.	39* (2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Eighty per cent by deputation-; and (ii) Twenty per cent by promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion – Additional Superintendent of Police in the level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) in the National Investigation Agency with five years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Chairman / Member, Union Public Service Commission – Chair Person; 2. Additional Secretary / Joint Secretary, Ministry of Home Affairs – Member; 3. Director General / Special Director General / Additional Director General, National Investigation Agency - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation** Officers of the Indian Police Service empanelled for holding Superintendent of Police level posts at the centre, or Officers of All India Services or Officers of Central Armed Police Forces or officers of the Central Police Organisations or Officers of the State Police Organisations or Union territories or Officers of the Central Government organised Group 'A' Services, including the officers of the following services, namely: (i) Indian Economic Services; (ii) Indian Revenue Services; (iii) Indian Customs and Central Excise Services; (iv) Indian Audit and Account Services; (v) Directorate of Enforcement; (vi) Serious Fraud Investigation Office; vii) Railway Vigilance Office; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in posts in the level-11 in the pay matrix in the parent cadre / department; and (b) Seven years experience in handling of cases of investigation of criminal cases or economic offences, or intelligence work including counter terrorism operation or imparting training in counter terrorism or vigilance collection. **Note 1:** Deputation of Indian Police Service Officers shall be regulated in terms of the instructions or orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No I-21023/29/2007-IPS.III dated the 30 March, 2010 as amended from time to time. **Note 2:** Indian Police Service Officers shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954 as		

amended from time to time. Similarly, officers of All India Services an officers of Central Government Group 'A' Organised Services shall also draw their pay and allowances as per pay rules applicable to them. **Note 3:** The number of officers on deputation from Central Armed Police Forces or other services that is All India Service, Indian Economic Service, Indian Revenue Service, Indian Customs and Central Excise Service, Indian Audit and Accounts Services, Directorate of Enforcement and Serious Fraud Investigation Office shall not exceed twenty five per cent of the total sanctioned posts at any time. **Note 4:** Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 5:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 6:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion.		

[F. No. 45021/28/2023-NIA]

RAKESH RATHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA